निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ 1935 (शo)

(सं0 पटना 410) पटना, शुक्रवार, 24 मई 2013

सं० 2/एम10–178/12/687

शिक्षा विभाग

संकल्प

2 अप्रील 2013

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 12122/98, 8147/99, 8679/02 एवं एल0पी0ए0 सं0 65/03 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0 6450/03 एवं सिविल अपील सं0 4466/03 में दिये गये आदेश के अनुपालन में संकल्प सं0 1209 दिनांक 07.07.06 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरुष एवं महिला शिक्षको के 2465 पदों (कार्यरत बल–1336) को 01.01. 1977 के प्रभाव से उत्क्रमित करते हुये बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में संविलियन किया गया।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 8679/02 जर्नादन राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में समय–समय पर पारित न्याय निर्देशो के अनुपालन में अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) महिला एवं पुरुष संवर्ग के बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में दिनांक 01.01.1977 के प्रभाव से संविलयित शिक्षकों को अनुमान्य परिणामी लाभो (Consequential Benefits) यथा–समेकित वरीयता सूची का प्रकाशन, बकाये वेतन का भुगतान, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए0सी0पी0), परिवहन भत्ता आदि का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई की गयी।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 10091/06 तथा 14678/06 में दिनांक 31. 07.06 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः–

''Bihar Subordinate Education Service is not part of misc. cadre of the Education Department in the circumstances, there was no occasion to merge the Teaching Branch, Male and Female of the Bihar Subordinate Education Service in compliance of the resolution dated 11-04-1977 and dated 07-07-2006 Annexure-I in CWJC No.- 10091 of 2006 is accordingly, quashed, however with liberty of the State Govt. to consider the case of Bihar Subordinate Education Service Teaching Branch/Inspecting Branch if the government is of the view that the case of the members of Bihar Subordinate Education Service Teaching/Inspecting Branch is similar to that of the teaching of the misc. cadre of the Education Department, then the State Govt. is at liberty to take appropriate decision about the inclusion/merger in the Bihar Education Service Class-II. ''

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.07.06 को पारित आदेश के आलोक में समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 द्वारा संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 को निरस्त करते हुये, तत्तकालिक प्रभाव से कोई वैयक्तिक एवं आर्थिक लाभ नहीं देने का आदेश दिया गया।

3. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 10091/2006 तथा 14678/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 द्वारा संविलियन का आदेश निरस्त किये जाने के पश्चात् पुनः यह मामला न्यायालय में उठाया गया। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.07 के विरुद्ध एल0 पी0 ए0 सं0 974/07 मन्देश्वर नारायण यादव बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ तथा बिहार सरकार एवं अन्य, एल0 पी0 ए0 सं0 947/07 जनार्दन राय बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ तथा बिहार सरकार एवं अन्य, एल0 पी0 ए0 सं0 946/07 नित्यानन्द मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ एवं अन्य तथा बिहार सरकार एवं अन्य, एल0 पी0 ए0 सं0 941/07 बृजनन्दन सिंह बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ एवं अन्य तथा बिहार सरकार एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया। बिहार राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा इस मामले को सीधे एस0 एल0 पी0 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। एल0 पी0 ए0 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित रहने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संघ को एल0 पी0 ए0 के माध्यम से मामले को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष रखने का आदेश दिया गया। इस आदेश के आलोक में बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0 पी0 ए0 सं0 418/07 दायर किया गया।

(ii) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0 418/07 एवं समरुप अन्य एल0 पी0 ए0 में समेकित रुप से दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश में एल0 पी0 ए0 को खारिज किया गया।

4. बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0 पी0 ए0 में दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 सं0 26675–26676/10 दायर किया गया।

5. SLP (C) NOs- 26675-26676/2010 से उद्भुत Civil Appeal NOs.-8226-8227/2012 तथा I.A. NOs.- 19-20/2011 एवं अवमाननावाद संख्या 386–387/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.12 को समेकित रुप से पारित आदेश में एल0 पी0 ए0 सं0 418/2009 एवं अन्य एल0 पी0 ए0 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.10 तथा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 10091/2006 में दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश को खारिज करते हुये अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 को अभिखंडित किया गया है।

(ii) अधिसूचना संख्या–1209 दिनांक 07.07.06 को (Upheld) सही ठहराया गया तथा इसके अनुरुप कार्य आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

(iii) I.A. NOs.- 19-20/2011 को अभिखंडित करते हुये अवमाननावाद संख्या–386–387/2011 को निष्पादित किया गया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 8226–8227/12 में दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 को विलोपित करते हुये, संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 को पुनर्जिवित किया जाता है।

7. परिणामी लाभ (Consequential Benefits) देते हुये संविलयित शिक्षकों को पूर्व में दिये गये वेतन उत्क्रमण के समकक्ष लाभ दिया जाना है। इस हेतु निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से अद्यतन वरीयता सूची प्राप्त कर, बिहार शिक्षा सेवा विभागीय परीक्षा नियमावली–1973 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सी0) 4288/11 में दिनांक 04.07.11 को पारित ''Status quo'' के आदेश की समीक्षा कर अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 410-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in